उनवान—आसू वगैरा बनाम कालूराम वगैरा
राजस्व आवेदन संख्या 235/2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)

राजस्व आवेदन सं. 235/2024

अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. आसू पुत्र देदा 2. जैराम पुत्र देदा 3. भेरा पुत्र देदा 4. विसनाराम पुत्र मूला 5. खुमाराम पुत्र मूला जातियान जाट निवासीगण नवापुरा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. कालूराम पुत्र भूराराम 2. खरथाराम पुत्र भूराराम 3. पोकरराम पुत्र भूराराम 4. रामाराम पुत्र भूराराम 5. खेता पुत्र सुरता 6. भगा पुत्र सुरता 7. सेानीदेवी पत्नी सुरता जातियान जाट निवासीगण नवापुरा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 8. राज्य सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सेड़वा।

वकील प्रार्थीगण :— श्री करनाराम कड़वासरा

विप्रार्थी संख्या 01 से 07 के वकील— श्री मेहराराम सारण

—: निर्णय :—

दिनांकः— 26.08.2025

प्रार्थीगण आसू पुत्र देदा वगैरा जाति जाट, निवासी नवापुरा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप मे सार इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खातेदारी कब्जा काश्त का खेत ग्राम नवापुरा, पटवार हल्का बावरवाला के खसरा संख्या 324/99 रकबा 5.7627 हैक्टेयर, खसरा संख्या 325/99 रकबा 6.0946 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 99 रकबा 5.7546 हैक्टेयर, खसरा संख्या 98 रकबा 0.0567 हैक्टेयर, खसरा संख्या 326/99 रकबा 0.1538 हैक्टेयर के आये हुए है, जिसका मूल खसरा संख्या 99 व खसरा संख्या. 98 किस्म गै.मू.ढाणी था, उक्त मूल खसरे का विभाजन होकर अलग तरमीम की गई है। मूल खसरा संख्या 99 में से प्रशासन गांवों के संग अभियान में तरमीम के वक्त मौके पर कब्जेकाश्त, ढाणी से भिन्न पटवारी हल्का, भू—अभिलेख द्वारा मौका देखे बिना नक्शे में गलत तरमीम कर दी, प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के कब्जे, ढाणी से भिन्न गलत तरमीम की है। ऐसी सूरत में पटवारी हल्का द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं, मौके पर आये बिना नक्शे में गलत तरमीम की गई है, नक्शे में की गई तरमीम कब्जे, बंट के विपरित किया इन्द्राज अवैध व गैर कानूनी होने से मौके पर स्थित कब्जा, ढाणी, माठ [illegible] तरमीम की जाकर नक्शा दुरूस्ती करवाने का प्रार्थीगण हकदार होने से [illegible] दुरूस्ती [illegible] पत्र पेश है। तरमीम के वक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by: Badrinarayan
Date: 2026.03.05 17:55:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

मौके पर कब्जे काश्त से व विभाजन प्रस्ताव के नक्शे से भिन्न तरमीम अवैध रूप से लिपिकीय त्रुटि से किया गया है, जिससे उक्त लिपिकीय भूल को दुरूस्त करवाने का प्रार्थी कानूनी हकदार होने से यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण के राजस्व रेकर्ड में तरमीम गलत अंकन होने से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को अपने खेत को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए, कृषि ऋण लेने के लिए, अपने खेत की नेखमबंदी करवाने के लिए कई कठिनाईयों, का सामना करना पड़ रहा है, जिससे प्रार्थी व अप्रार्थीगण मौके पर कब्जेकाश्त, ढाणी, मांठ अनुसान रेकर्ड दुरूस्ती करवाने के विधि सम्मत अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र पेश है। ग्राम नवापुरा, पटवार हल्का बावरवाला के खसरा संख्या 324/99 रकबा 5.7627 हैक्टेयर, खसरा संख्या 325/99 रकबा 6.0946 व खसरा संख्या 99 रकबा 5.7546 हैक्टेयर, खसरा संख्या 98 रकबा 0.0567 हैक्टेयर, खसरा संख्या 326/99 रकबा 0.1538 हैक्टेयर का मौके पर स्थित कब्जा, ढाणी, माठ अनुसार तरमीम की जाकर नक्शा दुरूस्ती करने का आदेश तहसीलदार सेड़वा के नाम जारी फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस तलब किए। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किए गए। विप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मेहराराम सारण ने वकालतनाम पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सेड़वा से न्यायालय के आदेश क्रमांकः रीडर/2024/1344 दिनांक 03.09.2024 द्वारा तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन के लिए लिखा गया। कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांकः भू.अ./2025/482 दिनांक 26.06.2025 द्वारा न्यायालय को तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन "ग्राम नवापुरा के खसरा संख्या 324/99, 325/99, 99, 98, 326/99 का मौके पर वादीगण, प्रतिवादीगण व मुखिया मौतबरानों के रूबरू मौके पर काश्त कब्जा, ढाणी उनके खेतों के बीच मांठों व वर्तमान राजस्व रेकर्ड नक्शा में की गई तरमीम का अवलोकन किया गया। जिसमें वर्तमान राजस्व नक्शा में की गई तरमीम व मौका स्थिति वादीगण, प्रतिवादीगण के रहवासी ढाणी, काश्त कब्जे, कुंए, टांके व अन्य पक्के निर्माण में भिन्नता पाई गई। ग्राम नवापुरा के मूल खसरा संख्या 99 रकबा 112–19 बीघा (18–2837 हैक्टेयर), खसरा संख्या 98 रकबा 0.07 बीघा (0.0567 हैक्टेयर) का सहमति विभोजन द्वारा ग्राम नवापुरा के नामान्तरकरण संख्या 319 दिनांक 12.12.2015 के द्वारा खसरा संख्या 324/99, 325/99, 99, 326/99, 98 विभाजित हुए। सहमति विभाजन करते समय मौके पर वादीगण व प्रतिवादी की ढाणियों, कुंए, काश्त कब्जा व अन्य पक्के निर्माण इत्यादि का ध्यान नहीं रखा गया।जिसके कारण वादीगण व प्रतिवादीगणों के खसरों की नक्शा में तरमीम से उनकी काश्त कब्जा, ढाणिया व अन्य पक्के निर्माण प्रभावित होते हैं। अन्य खसरे बाद में वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा अपने–अपने [illegible] से भूमि समर्पण करने से बने हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.05 17:35:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण एवं मुखिया मौतबरान के रूबरू वादीगण व प्रतिवादीगणों की ढाणियों, अन्य पक्के निर्माण को व काश्त कब्जा को ध्यान रखते हुए ग्राम नवापुरा के खसरा संख्या 324/99, 325/99, 99, 326/99 का मौका का प्रस्तावित तरमीम नक्शा परिशिष्ट "ब" तैयार किया गया जिसके अनुसार उपर्युक्त खसरों की तरमीम किये जाने की उपर्युक्त खसरों के खातेदारों ने सहमति प्रदान की गई, समर्पित भूमि के खसरे प्रभावित नहीं हुए है। उक्त मौका फर्द उपस्थित सभी वादीगण, प्रतिवादीगणों व मौतबरानों को पढ़कर सुनाई गई। मौका फर्द मौके पर बनाई जाकर उपस्थित के हस्ताक्षर व अ.नि. अंकित करवाए गए।"

उभयपक्षकारान् अधिवक्ता उपस्थित । पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर उभयपक्षकारान् अधिवक्ता ने बहस की। उभयपक्षकारान् अधिवक्ता ने बहस में तहसीलदार सेडवा से प्राप्त मौका रिपोर्ट को स्वीकार किया है। उभयपक्षकारान् अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिन्तन, मनन तथा विचारणोपरांत, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 235/2024 उनवान आसू वगैरा बनाम कालूराम वगैरा अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन अनुसार तहसील सेड़वा के पटवार मण्डल बावरवाला के ग्राम नवापुरा के खसरा संख्या 324/99 रकबा 5–7627 हैक्टेयर, खसरा संख्या 325/99 रकबा 6–0946 व खसरा संख्या 99 रकबा 5–7546 हैक्टेयर, खसरा संख्या 98 रकबा 0–0567 हैक्टेयर, खसरा संख्या 326/99 रकबा 0–1538 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की भूमि की तरमीम तहसीलदार सेड़वा द्वारा परिशिष्ट 'ब' में दर्शाए अनुसार दुरुस्त किया जाना उचित है। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, तथ्यों तथा तहसीलदार सेड़वा के तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन पर युक्तियुक्त विचारणोपरांत राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन (पत्रांकः भू.अ./2025/482 दिनांक 26.06.2025 के संलग्न मौका जांच प्रतिवेदन दिनांक 23.05.2025, खसरा नक्शा व जमाबंदी, परिशिष्ट 'ब' अभिलेख आदि) निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि वह तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2025 को खुले इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.05 17:55:19
Reason: SelfAttested

(बद्रीनारायण आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा
सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2025/ 482 दिनांक– 26-06-2025

प्रेषितः– श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

सेडवा, जिला बाडमेंर।

विषयः– राजस्व वाद संख्या 235/2024 अनवान आसु वगैरह बनाम कालुराम वगैरह अन्तर्गत RLR ACT धारा 131, 136 में तरमीम दुरस्ती तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजने बाबत्।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है राजस्व वाद संख्या 235/2024 अनवान आसु वगैरह बनाम कालुराम वगैरह में मौजा नवापुरा के खसरा नं. 324/99, 325/99, 99, 98, 326/99 रकबा क्रमशः– 5.7627, 6.0946, 5.7546, 0.0567, 0.1538 हैक्टेयर का अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR ACT में तरमीम दुरस्ती हेतु आप द्वारा मौके पर तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही थी। जिसकी भू.अ. निरीक्षक बाखासर द्वारा दिनांक 23.05.2025 को तरमीम दुरस्ती की रिपोट तैयार की गयी। जिसकी तथ्यात्मक रिपोट इस पत्रांक के सलंग्न श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

सलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय
26/06/25

तहसीलदार(भू.अ. सेडवा)
तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.05 17:55:19 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम कार्य

मौका फर्द

आज दिनांक 23/5/2025 को मैं श्रीमान तहसीलदार साहब सेड़वा के आदेश क्रमांक /भू.अ./2025/471 दिनांक 18.02.2025 की पालना में माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा के राजस्व आवेदन संख्या 235/2024 अन्तर्गत माधू वगैरा बनाम कालूराम वगैरा में अन्तर्गत RLR एक्ट की धारा 131, 136 में तरमीम दुरस्ती हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करने हेतु ग्राम नवापुरा के खेत खसरा नं. 324/99 रकबा 5.7627 हे०, 325/99 रकबा 6.0946, खसरा नं. 99 रकबा 5.7546 हे०, खसरा नं. 98 रकबा 0.0567, खसरा नं. 326/99 रकबा 0.1538 हे० की मौका जांच हेतु मौके पर श्री हंसराज मीणा पटवारी बावरवाला के साथ मौके पर पहुंचा।

ग्राम नवापुरा के खसरा नं. 324/99, 325/99, 99, 98, 326/99 का मौके पर वादीगण, प्रतिवादीगणों व मुअबिज मोतबरानों के रूबरू मौके पर काश्त कब्जा, उनके खेतों के बीच मार्ग व वर्तमान राजस्व रेकर्ड नक्शा में की गई तरमीम अवलोकन की, जिसमें वर्तमान राजस्व नक्शा में की गई तरमीम व मौका स्थिति किया गया। जिसमें वादीगण, प्रतिवादीगण के रहवासी ढाणी, काश्त कब्जे, कुएं, टांके व अन्य पक्के निर्माण में भिन्नता पाई गई।

ग्राम नवापुरा के मूल खसरा नं. 99 रकबा 112-19 बीघा (18.2837 हे०), खसरा नं. 98 रकबा 0.07 बीघा (0.0567 हे०) का सहमति विभाजन द्वारा ग्राम नवापुरा के नामान्तरकरण संख्या 319 दिनांक 12-12-15 के द्वारा खसरा नं. 324/99, 325/99, 99, 326/99, 98 विभाजित हुए। सहमति विभाजन करते समय मौके पर वादीगण व प्रतिवादी की ढाणियों, कुएं, काश्तकब्जा व अन्य पक्के निर्माण इत्यादि का ध्यान नहीं रखा गया। जिसके कारण वादीगण व प्रतिवादीगणों के खसरों की नक्शा में तरमीम से उनकी काश्त कब्जा, ढाणिया व अन्य पक्के निर्माण प्रभावित हो रहे हैं। अन्य खसरे बाद में वादीगण व प्रतिवादी द्वारा अपने-अपने खसरों में से भूमि समर्पण करने से बने हैं।

मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण एवं मुअबिज मोतबरान के रूबरू वादीगण व प्रतिवादीगणों की ढाणियों, अन्य पक्के निर्माण को व काश्त कब्जा को ध्यान रखते हुए ग्राम नवापुरा के खसरा नं. 324/99, 325/99, 99, 326/99 का मौका का प्रस्तावित तरमीम नक्शा परिशिष्ट "ब" तैयार किया गया जिसके अनुसार उपरोक्त खसरों की तरमीम किए जाने को उपरोक्त खसरों के काश्तकारों ने सहमति प्रदान की गई। समीपवर्ती ग्राम के खसरे प्रभावित नहीं हुए हैं। उक्त मौका फर्द उपस्थित सभी वादीगण, प्रतिवादीगणों व मोतबरानों को पढ़कर सुनाई गई। उपस्थित सभी ने सुन-समझकर, पढ़कर अपने-अपने हस्ताक्षर किये।

(हस्ताक्षर)
तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

(हस्ताक्षर) 23/05/2025
BR-बावरवाला

(हस्ताक्षर)
प० बावरवाला

अ.नि. आदूराम पि० देदाराम

अ.नि. कालूराम पि० अमराराम

अ.नि. खेताराम पि० सुरता

अ.नि. जेठाराम पि० देदा

अ.नि. जगमालराम पि० अमराराम

अ.नि. [illegible] पि० सुरता

भेराराम

(पोकाराम [illegible])

विसनाराम
खुमाराम

कालूराम

(कालूराम पि० आदाराम)

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.05 17:55:19 IST
Reason: Self Attested

माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा राजस्व वाद सं० 235/2024 मंगलाराम वगैरा बनाम कानूनाराम वगैरा बर्खिलाफ राजस्थान सरकार के अनुसार तरमीम नक्शा

आबादी नक्शा ट्रेस

मौजा - नवापुरा

पैमाना = 1" = 20 गट्ठा

परिशिष्ट 'अ'

(प्रतिलिपि)

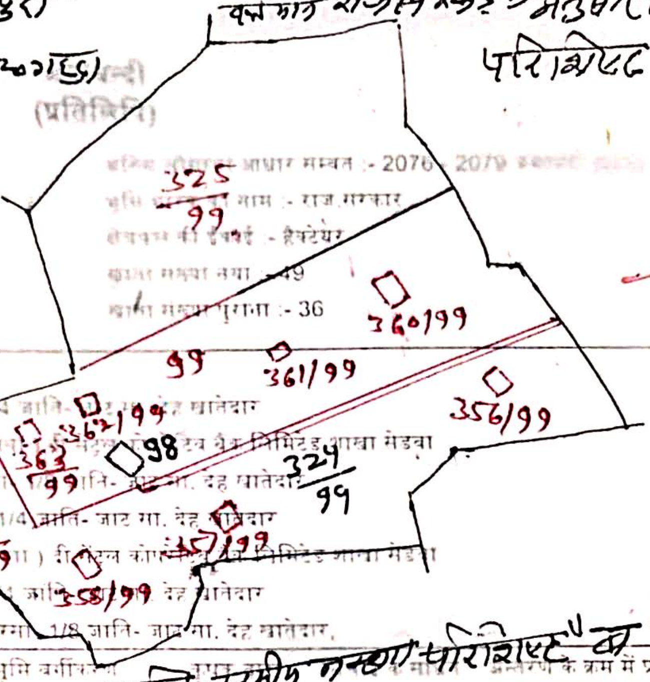

... का नाम :- नवापुरा
पटवार हल्का :- बावरवाला
भू.अभि.नि. :- बाखासर
तहसील :- सेड़वा
जिला :- बाड़मेर

भूमि अभिलेख आधार सम्वत :- 2076 - 2079
भूमि ... का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 49
खाता संख्या पुराना :- 36

काश्तकार का नाम :-

1. आगू पुत्र देदा हिस्सा- ... जाति- ... खातेदार
गहिन हिस्सा-... (पूर्ण ...) ... बैंक लिमिटेड शाखा सेड़वा
2. मूलाराम पुत्र ... हिस्सा- ... जाति- ... देह खातेदार
3. जैराम पुत्र देदा हिस्सा-1/4 जाति- जाट गा. देह खातेदार
गहिन हिस्सा-1/4 (...) ... लिमिटेड शाखा सेड़वा
4. भेरा पुत्र देदा हिस्सा- ... जाति- ... देह खातेदार
5. बिसनाराम पुत्र मूला हिस्सा- 1/8 जाति- जाट गा. देह खातेदार,

मौका स्थिति अनुसार प्रस्तावित तरमीम नक्शा परिशिष्ट "ब"

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	...	... लगान	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
324/99	5.7627	था.गोयम	5.7627	1.79	स्वीकृत नामांतरकरण : 401 20/10/2023 ...	
कुल खसरे - 1	5.7627		5.7627	1.7900		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।
नकल जारी करने की तिथि :- 11-Dec-2024

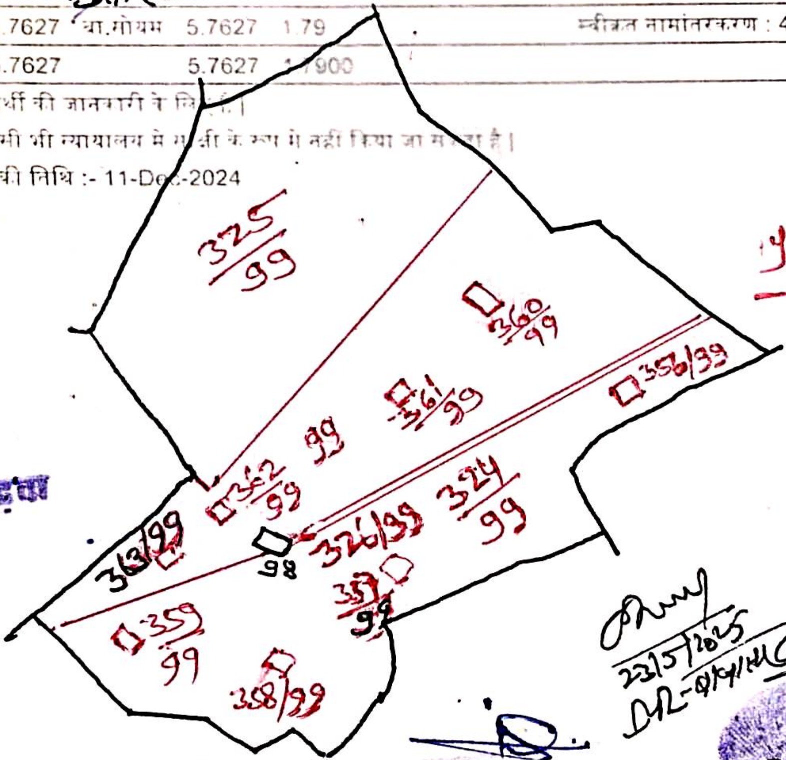

पुष्टि की

SDO सेड़वा

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

23/01/2025

हंसराज मीणा
पटवारी (भू.अ.) बावरवाला

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.03.05 17:55:19 IST
Reason: SelfAttested

बिसनाराम

सुखाराम